न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— सुनील कुमार पीपलीवाल आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 38 / 2024 **दायर दिनांकः 04.12.2024**

उनवान

1. सत्यनारायण आयु 59 वर्ष पुत्र भैरुलाल जाति मीणा निवासी पाडलिया तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
2. चाहन्या बाई उर्फ छाया बाई आयु 45 वर्ष पुत्री भैरुलाल पत्नी पानाचन्द जाति मीणा निवासी पाडलिया हाल निवासी प्रेमनगर कोटा जिला कोटा (राज.).

प्रार्थीगण

बनाम

1. महेन्द्र आयु 55 वर्ष पुत्र जगदीश जाति मीणा निवासी बरलां तहसील अटरू
2. कमला बाई आयु 60 वर्ष पुत्री भौरुलाल पत्नी कालूलाल जाति मीणा निवासी पाडलिया हाल निवासी बलदेवपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :—
प्रार्थीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री हरीश गालव द्वितीय

निर्णय

दिनांक— 31.12.2025

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त शीर्षक का एक वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें सफलता कि पूर्ण आशा है। मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 वाके ग्राम एवं माल बरला तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 223 के खसरा नं. 603 का रकबा 0.60 है0 आराजी कुल किता 1 का रकबा 0.60 हैक्ट्रर भूमि स्थित है। जिसमे प्रार्थीगण का हिस्सा 36 / 175, 36 / 175 दर्ज खाता है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित प्रार्थीगण व

प्रार्थीगण के भाई–बहिन के संयुक्त खाते की भूमि है जिसमे प्रार्थीगण के भाई जगदीश व भगवान ने अपने हिस्से की आराजी का बेचान अप्रार्थी क्रम 1 महेन्द्र को कर दिया जो जर्ये बेचान इन्तकाल दिनांक 01/10/2024 को हिस्सा 97/175 पर सहखातेदार नाम दर्ज हुआ। इसके चलते अप्रार्थी क्रम 1 ने उक्त सम्पूर्ण आराजी पर दिनांक 16/10/2024 को गैरकानूनी तरीके से कब्ज़ा कर प्रार्थीगण को अपनी पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा उक्त गैरकानूनी कब्जे का विरोध करने पर अप्रार्थी क्रम 1 लड़ाई–झगड़े पर आमादा हुआ और उक्त आराजी को रहन–बेचान कर खुर्द बुर्द करने की धमकी दी जिसकी तहरीरी रिपोर्ट दिनांक 17/10/2024 को पुलिस थाना अटरू में दर्ज करवाई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित भूमि का अप्रार्थी क्रम 1 व 2 से हिस्से अनुसार बंटवारा करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने बंटवारा करवाने से भी स्पष्ट मना कर दिया और लड़ाई झगड़े पर आसादा हुए। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थीगण को उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैरकानूनी तरीके से रोका जाना संभव नहीं है, यदि अप्रार्थी क्रम 1 अपने अवैधानिक एवं गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गया और प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी को खुर्द बुर्द कर दिया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में होना संभव नहीं होगी। अस्तु प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित आराजी में अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्रार्थीगण की सम्पूर्ण आराजी पर किये गये गैरकानूनी कब्जे को हटवाये जाने के प्रार्थीगण अधिकारी है व अप्रार्थी कम 1 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने के अधिकारी है कि वह प्रार्थीगण के हिस्से पर दोबारा कब्ज़ा नहीं करे ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे तथा आराजी का खाता विभाजन अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अपने पृथक से खाते दर्ज करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है। इस हेतु माननीय न्यायालय में प्रार्थना पेश है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व वाद पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित है। इसलिए सुविधा का संतुलन एवं न्याय का संतुलन प्रथम दृष्टया के प्रार्थी के पक्ष में है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि– वे प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित भूमि में हिस्सा 72/175 पर तहसीलदार अटरू को रिसीवर नियुक्त किया जावे विकल्प में यदि अप्रार्थी क्रम 1 कब्जा रखना चाहता है तो 8,000/– रुपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष की दर के हिसाब से मुआवजा राशि वादीगण को दिलवाई जावे तथा ताफैसलावाद रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी क्रम 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश पेश नही करने पर जवाब बन्द किया गया।

अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा बहस के दोरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहरया तथा कथन किया ग्राम एवं माल बरला में खाता संख्या 223 के खसरा नं. 603 का रकबा 0.60 है0 आराजी कुल किता 1 का रकबा 0.60 है0 भूमि में प्रार्थीगण का हिस्सा 36/175, 36/175 दर्ज खाता है। उक्त आराजी प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के भाई–बहिन के संयुक्त खाते की भूमि है जिसमे प्रार्थीगण के भाई जगदीश व भगवान ने अपने हिस्से की आराजी का बेचान अप्रार्थी क्रम 1 महेन्द्र को कर दिया जो जर्ये बेचान इन्तकाल दिनांक 01/10/2024 को हिस्सा 97/175 पर सहखातेदार नाम दर्ज हुआ। इसके चलते अप्रार्थी क्रम 1 ने उक्त सम्पूर्ण आराजी पर दिनांक 16/10/2024 को गैरकानूनी तरीके से कब्ज़ा कर प्रार्थीगण को अपनी पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा उक्त गैरकानूनी कब्जे का विरोध करने पर अप्रार्थी क्रम 1 लड़ाई–झगड़े पर आमादा हुआ और उक्त आराजी को रहन–बेचान कर खुर्द बुर्द करने की धमकी दी जिसकी तहरीरी रिपोर्ट दिनांक 17/10/2024 को पुलिस थाना अटरू में दर्ज करवाई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित भूमि का अप्रार्थी क्रम 1 व 2 से हिस्से अनुसार बंटवारा करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने बंटवारा करवाने से भी स्पष्ट मना कर दिया और लड़ाई झगड़े पर आसादा हुए। अतः अप्रार्थी कम 1 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने के अधिकारी है कि वह प्रार्थीगण के हिस्से पर दोबारा कब्ज़ा नहीं करे ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे तथा प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित भूमि में हिस्सा 72/175 पर तहसीलदार अटरू को रिसीवर नियुक्त किया जावे विकल्प में यदि अप्रार्थी क्रम 1 कब्जा रखना चाहता है तो 8,000/– रुपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष की दर के हिसाब से मुआवजा राशि वादीगण को दिलवाई जावे तथा ताफैसलावाद रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

अस्थाई व्यादेश में तीन शर्तों पर ध्यान देना आवश्यक है–

- प्रथम दृष्टया मामला
- सुविधा का संतुलन

- अपूरणीय क्षति

- **<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>**:– ग्राम व माल बरलां की आराजी खाता संख्या 223 के ख0नं0 603 का रकबा 0.60 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.60 है0 आराजी में प्रार्थी क्रम 1 व प्रार्थी क्रम 2 का हिस्सा 36/175, 36/175 तथा अप्रार्थी क्रम 1 का हिस्सा 97/175 व अप्रार्थी क्रम 2 का हिस्सा 6/175 निहित हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी के पैतृक सम्पति बाबत् कोई दस्तावेज पेश नही किए गए है तथा उक्त आराजी में अप्रार्थी क्रम 1 व 2 रिकार्डेड खातेदार है। अतः रिकार्डेड खातेदार होने से **प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है।**

- **<u>सुविधा का संतुलनः–</u>** प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नही किया जिससे यह स्पष्ट हो सकें कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी आराजियात पर जबरन कब्जा किया गया हो। इसलिए सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।

- **<u>अपूरणीय क्षति :–</u>** प्रार्थीया द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किये गये कि जिससे यह साबित वो सकें कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति होने की संम्भावना नहीं है प्रार्थीगण को स्थगन आदेश की आवश्यकता प्रतीत नही होती है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम छजावा की आराजी के संबंध में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

::–<u>क्रियात्मक आदेश</u>::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार पीपलवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां